

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों का सिविल लिस्ट 2026 का पुस्तक रूप में मुद्रण हेतु अल्प अवधि कोटेशन संबंधी सूचना

ज्ञाप संख्या- 19/लेखा- 01-05/2026 सा0प्र0.....3881 / पटना- 15, दिनांक 24.02.2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों के सिविल लिस्ट 2026 का पुस्तक के रूप में मुद्रण कराया जाना है। उक्त सिविल लिस्ट-2026 का 650 (छः सौ पचास) प्रतियों में पुस्तक के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। संबंधित सिविल लिस्ट 2026 में 75 पृष्ठ होने की सम्भावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं ग्लू बाईडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों-हाथ विभाग के प्राप्ति पटल पर दिनांक 24.02.2026 को अपराह्न 05:30 से दिनांक 27.02.2026 अपराह्न 05:30 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। सिविल लिस्ट का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क्र0	पुस्तक का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	सिविल लिस्ट (बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा) 2026 (650 प्रतियों में मुद्रण)	75/ 650 प्रतियों में मुद्रण	कवर पेज पृ0 300 जी0एस0एम0 आर्ट बोर्ड मल्टीकलर प्रिंट पॉलिस्टर लैमिनेशन/मुख्य पृष्ठ तथा प्राक्कथन/ शेष पृष्ठों में-130 जी0एस0एम0 आर्ट पेपर मल्टीकलर प्रिंट, टेक्सट- आर्ट बोर्ड मल्टीकलर प्रिंट 130 जी0एस0एम0, साईज A4

नोट:- 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पास सुरक्षित होगा।


2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल संख्या-8709424052 पर उक्त अवधि में दिनांक 24.02.2026 को अपराह्न 05:30 से दिनांक 27.02.2026 अपराह्न 05:30 तक प्राप्त किया जा सकता है।

विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html> पर इच्छुक कोटेशनदाताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोट:-कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है:-

- (1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख
- (2) जी0एस0टी0 पंजीकरण से संबंधित अभिलेख
- (3) कार्यादेश निर्गत होने के 02 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 02 दिनों के भीतर मुद्रण का कार्य सम्पन्न करते हुए बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों का सिविल लिस्ट 2026 विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।


(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव